राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1519/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जयप्रकाश हरवानी जे-157] पाश्र्वनाथ सिटी] संगारिया पाल बाई पास रोड जोधपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव मंत्रिमण्डल सचिवालस, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 04-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय शर्मा, अनुभाग अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 12-7-17 से प्रशासन शहरों/गांवों के संग कार्यक्रम के तहत दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण व समाधान प्राप्त करने हेतु गठित मंत्रीमण्डीय एम्पावरमेंट समिति के समक्ष रखने हेतु पत्र दिनांक 18-11-12 मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया था, पर की गई दैनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 9-8-17 से संसूचित कर दिया गया था कि उनका आवेदन मूल में ही प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को भिजवा दिया गया है, अतः वांछित सूचना सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जावे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 6-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध पत्रादि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन कर अथवा अपीलार्थी की इच्छानुसार कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा भी कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है।

अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त